

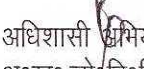
63

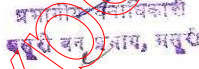
परियोजना का नाम :- आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल - श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण/एन०पी०पी० हेतु विभागीय प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है , कि प्रस्तावित आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल - श्रीपुर मोटर मार्ग हेतु नवीनतम निर्धारित दरों पर एन०पी०पी० की धनराशि प्रदान करने हेतु लो०नि०वि०, थत्तूड सहमत है तथा साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि प्रदान करने हेतु सहमत है।


सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
थत्तूड


अधिशायी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
थत्तूड


प्रमाणित किया जाता है
बहुल दत्त, जयपुर, मयूर

(84)

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल - श्रीपुर के निर्माण हेतु आपेक्षित 0.619 है० वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता , अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, थत्यूड को हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

“प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (वन पंचायत भूमि 1.6625 है०, आरक्षित वन भूमि 1.3125 है० कुल 2.975 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास III के अन्तर्गत आता है।”

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,03,000/- मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 23,88,925/- (तेईस लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ पच्चीस) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
थत्यूड

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

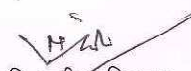
65

परियोजना का नाम :- आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल - श्रीपुर
मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण/एन०पी०वी० हेतु विभागीय प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है , कि प्रस्तावित आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल - श्रीपुर मोटर मार्ग हेतु नवीनतम निर्धारित दरों पर एन०पी०वी० की धनराशि प्रदान करने हेतु लो०नि०वि०, थत्तूड सहमत है तथा साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि प्रदान करने हेतु सहमत है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा बढी हुई दरों पर एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
थत्तूड


अधिशाली अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
थत्तूड